न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
न्यायालय अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 455 सन 2018
अनवान :–

1. सजन कुमार 2 राममूर्ति पि0 अमरसिह जाति जाट निवासी मलवाणी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 अमरसिह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी मलवाणी तहसील नोहर।
2 दर्शना पुत्री अमरसिह जाति जाट निवासी मलवाणी तहसील नोहर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री माडुराम सहारण अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 24.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 114 के प0न0 338/354 (118) के किला न0 22 ,23/2.00 प0न0 338/355(133) के किला न0 1 ,2 व 9 ता 11 कुल 5.00 बीधा , प0न0 436/355(134) के किला न0 1 ता 4 /4.00 बीधा 5/0.18 ,6/0.18 ,7 ता 14/8.00 बीधा , 15/0.18 ,16/0.18 ,18 ता 24/7.00 बीधा , प0न0 336/355(135) के किला न0 15 ,16 व 25 प0न0 336/355(170) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16/4.00 बीधा प0न0 336/356(171) के किला न0 1 ता 4/4.00 , 8 ता 12/5.00 , प0न0 483/102/8.00 बीधा कुल 51.00 बीधा थी एवं चक 3 बारानी के खाता संख्या 276 के प0न0 323/356 (157) के किला न0 6 ता 8/3.00 बीधा 12 ता 19/8.00 बीधा किला न0 22 ता 25/4.00 बीधा प0न0 325/357(221) के किला न0 1 ,10 ,11, 20,21/5.00 प0न0 324/357(222) के किला न0 4 ता 25/22.00 बीधा , प0न0 324/358(236) के किला न0 2/0.18 , प0न0 483/53 की 20.02 बिस्वा गै0मु0 रास्ता कुल 43.00 बीधा अलोट भूमि थी।

इसके अलावा हिराराम ने अपने पुत्रों अमरसिह व रामकुमार के नाम मोहनसिह पुत्र राझासिह व लखासिह पुत्र बैशाखसिह जाति जटसिख से प0न0 322/357 की 2 ता 19/18.00 बीधा , व 22 ता 25/4.00 बीधा कुल 22.00 बीधा भूमि खरीद की गई तब नाबालिग थे प्रतिवादी संख्या 1 का जन्म दिनांक 10.06.1956 को हुआ है।

हिराराम के फोत होने के बाद उसकी भूमि अमरसिह व रामकुमार के नाम दर्ज हुई उन्होने बटवारा कर लिया व बटवारे में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में चक 3 बारानी के खाता संख्या 9/7 के प0न0 323/356(157) के किला न0 17 ,18 ,22 ता 24/1.2650हैक , प0न0 336/356(157) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16/1.0120हैक प0न0 337/356(171) के किला न0 1/0.253हैक , 2/1 की 0.0130हैक , 9/2 की 0.0130हैक , 20/0.253हैक , 21/0.1900हैक कुल 1.2540हैक प0न0 325/257 (221) के किला न0 20 ,21/0.506 , प0न0 324/357(222) के किला न0 16/2 की 0.0130हैक 25/2 की 0.0130हैक कुल 0.0260हैक प0न0 323/357(224) के किला न0 2 ता 12/2.780हैक प0न0 0 मु0न0 0/86 की 0.0750हैक गै0मु0 रास्ता कुल 6.9210हैक भूमि आई जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संया 1 व 2 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी खाते के प0न0 332/355(129) के किला न0 18 ,23/0.506हैक प0न0 323/357(223) के किला न0 1 ता 4 की 1.0120हैक कुल 1.5180हैक प्रतिवादी संख्या 1 की खरीद शुद्वा भूमि है

इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि वादीगण के दादा के देहान्त होने के बाद एवं पैतृक सम्पति की आय से खरीद की गई भूमि है तथा वाद भूमि वादीगण के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से पैतृक सम्पति की आय से खरीद की गई भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ,2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुई है एवं पैतृक सम्पति की आय से भूमि खरीद की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है एवं वादी के दादा ने पैतृक सम्पति की आय से भूमि खरीद कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज करवाई गई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्हाने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी का काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 9/7 की कुल 6.9210 हैक भूमि में वादीगण 5.190हैक बहिब तथा प्रतिवादी संख्या 1 की 1.730हैक भूमि के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official